12.47 hrs.

Title: Regarding recovery of confidential Government documents from the office of Reliance Indian Group and need to take action against the company in this regard.

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : दिल्ली के एक विशेा न्यायालय ने निर्देश दिया है कि रिलाइन्स समूह के चेयरमैन मुकेश अम्बानी और उसके प्रबंध-निदेशक अनिल अम्बानी को सम्मन जारी किया जाए क्योंकि उन्होंने सरकारी दस्तावेज चोरी किये। वे सीबीआई के छापे में पकड़े गये। पोटा का कानून ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बना था। जो राट्र की सुरक्षा के साथ, लोगों के जनजीवन के साथ खिलवाड़ करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें पोटा के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, जिससे देश का कल्याण हो सके।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, यह काफी गंभीर मामला है और यह तब प्रकाश में आया जब सीबीआई ने रमेश नाम के माफिया के यहां छापा मारा और उसके यहां से ऐसे दस्तावेज पकड़े गये जो केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से चोरी करके मंगवाये गये थे। रिलाइन्स ग्रुप के मालिक और उसके जो तत्कालीन प्रबंध निदेशक थे, उसके यहां फैक्स करके ये दस्तावेज भेजे गये। ये इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनसे राट्र की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। सीबीआई ने न्यायालय से आग्रह किया था कि इन लोगों पर आरोप प्रथम-दृटया बनता है। इसलिए इन लोगों पर सम्मन जारी किया जाए। रिलाइन्स ग्रुप के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि यह वही ग्रुप है जिसके बारे में कहा गया कि रिलाइन्स इस देश की ऐसी कंपनी है जिसके विरुद्ध जिस किसी व्यक्ति ने आवाज उठाने की कोशिश की, उसे समाप्त किया गया है। चाहे वह कपिल मेहरा का मामला हो, नुस्ली-वाडिया का मामला हो, रुईया का मामला हो या इस्सार-ग्रुप का मामला हो। इन पर देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने और नाजायज रूप से देश का धन हड़पने, सरकारी गोपनीय दस्तावेजों को चोरी करने का गंभीर आरोप प्रमाणित होता है।

सीबीआई ने इस मामले में प्रथम दृटया आरोप स्वीकार किया है और न्यायालय ने लिख कर दिया है। छोटे-छोटे मामले में सरकार आम लोगों के यहां छापा मारकर गिरफ्तार करती है। महोदय, आपको स्मरण होगा, कल सदन में वीएसएनएल का मामला चल रहा था और अरुण शौरी जी सदन में थे, काफी हंगामा हुआ था। उस समय सदन में प्रथम पंक्ति में बैठे हुए नेता लोग चुप्पी लगाए हुए थे, क्योंकि रिलायेंस से संबंधित

मामला था। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप आसन से निर्देश दीजिए कि सरकार रिलायंस ग्रुप के मालिक, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक और वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को गिरफ्तार करे। उनके द्वारा देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। उनके कारनामों की वजह से देश की अर्थ व्यवस्था को लूटने की साजिश हो रही है। इस पर अंकुश लगना चाहिए और आसन की तरफ से उनको गिरफ्तार करने के लिए निदेश दें। यही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। â€¦ (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, मैं भी इस विाय से एसोसिएट करता हूं। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विाय पर सभी को बोलने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। हमारे पास केवल दस मिनट शेा है।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सरकार को नोटिस तो लेना चाहिए। गरीब लोगों के अलग कानून और रिलायेंस के लिए अलग कानून है। उन पर राट्रद्रोह का मुकद्दमा चलना चाहिए। बहुत गम्भीर मामला है। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: There are two Cabinet Ministers present in the House. They can react.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Minister of Parliamentary Affairs can react.

...(*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला सदन में उठाया है, मैं संबंधित मंत्री को सूचित करूंगी। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Mani Shankar Aiyar.

...(*Interruptions*)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : इसी सदन में तत्कालीन गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि रिलायेंस का संबंध देश के नामी-गिरामी लोगों से है। गृह मंत्री जी इस सदन में आश्वासन दें।

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आपको बोलने का मौका मिल चुका है। आप बैठिए। â€¦ (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : गम्भीर मामला है, इसीलिए मंत्री जी ने कहा है कि वे इसको संबंधित मंत्रीजी के पास लेकर जायेंगी और उनको बतायेंगी। इस विाय पर संबंधित मंत्री उचित कार्यवाही करेंगे।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Now, nothing will go on record except what Shri Mani Shankar Aiyar says.

(Interruptions)*